प्रेस नोट
दिनाँक 21.01.2026
जनपद-संतकबीरनगर

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर, 10 हजार रु0 के ईनामियां वाँछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

आज दिनाँक 21.01.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 986/2023 धारा 457/380/511 भादवि में 10 हजार रु0 के ईनामियां, 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता अरशद बंजारा पुत्र मो0 अफजल उर्फ मदारी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत कबीर चौरा मगहर रोड काला गेट हाइवे के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 036/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 21.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अरशद बंजारा पुत्र मो0 अफजल उर्फ मदारी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
01.मु0अ0सं0 783/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02.मु0अ0सं0 142/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
03.मु0अ0सं0 852/2022 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 695/2023 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 932/2023 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 986/2023 धारा 380/457/511 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 1138/2023 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी मगहर उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 रमेश यादव, का0 उमेश यादव ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 09.01.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-

वादी मुकदमा प्रभारी एसओजी श्री रामआशीष यादव द्वारा अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र मिसवाहुद्दीन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 21 अदद गोवंशीय पशु का चमड़ा बरामद करते हुए थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री सुदामा यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 611/2006 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शमीम पुत्र मिसवाहुद्दीन निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 60 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता सत्यनारायण तिवारी पुत्र स्व0 गौरी शंकर तिवारी निवासी बेलौली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 अरुण यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 161 वाहनों से 1,06,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 161 वाहनों से 1,06,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 71 स्थानों पर 2246 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 125 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1260 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 21.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 63 स्थानों पर 1441 व्यक्तियों को किया गया चेक ।*
- *856 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।*
- *43 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।*
- *69 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 185 व्यक्तियों को चेक किया गया, 155 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 176 व्यक्तियों को चेक किया गया, 49 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया, 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 205 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 145 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 08 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 19 स्थानों पर 250 व्यक्तियों को किया गया, 215 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 01 शोहदें से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 02 स्थानों पर 115 व्यक्तियों को चेक करते हुए 75 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 40 व्यक्तियों को चेक किया गया, 37 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर क्राइम थाना द्वारा 01 लाख 34 हजार 904 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना जनपद संततकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 01 लाख 34 हजार 904 रुपये की धनराशि वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाक 16.01.2026 को पीड़ित श्री अनीश ओझा पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद ओझा निवासी ग्रा0 नौरंगिया, कोनी थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा एक्सीस बैंक के एप मे लागिन करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया गया था जिसके उपरान्त पीड़ित के पास एक अनजान नम्बर से फोन आया और उसके द्वारा बताया गया कि वह एक्सीस बैक का कस्टोमर केयर से बोल रहा है तथा एप लागिन कराने के नाम पर एक लिंक भेजा। पीड़ित द्वारा प्राप्त लिंक पर अपने कार्ड से सम्बन्धित डेटा व ओटीपी शेयर कर दिया गया, जिससे 1,48,904 रु0 पीड़ित के खाते से कट गया। जिस पर साइबर क्राइम थाना जनपद संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित का फ्राड हुआ धनराशि कुल 01 लाख 34 हजार 904 रु0 पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। इस पर पीड़ित द्वारा साइबर क्राइम थाना की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण- प्र0नि0 श्री जयप्रकाश चौबे, उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, का0 रामप्रवेश मद्धेशिया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-

- किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
- बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
- साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।